संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई–05 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 329 विधि/एम–501(स्टेनो)/2014 भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

आदेश

म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना पृष्ठा0 क्रमांक एफ 3/79/32/2014 भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2014 के अनुसरण में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 75 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को प्रदत्त शक्तियॉ प्रदेश में प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए संचालनालय के आदेश क्रमांक 4120/विधि/एम–501/2014, दिनांक 03/09/2014 उद्योग आयुक्त को प्रत्यायोजित की गयी थी, इस आदेश को निरस्त करते हुए उद्योग विभाग द्वारा विकसित किये जाने वाले एवं किये गये औद्योगिक क्षेत्रों, तथा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत अधिसूचित निवेश क्षेत्र में निजी निवेशकों द्वारा प्रस्तावित उद्योग/औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक अनुमतियॉ प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 27, 29 एवं 30 की शक्तियॉ प्रबंध संचालक, ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रत्योजित की जाती है।

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 24(4) के प्रावधानानुसार भूमि विकास की अनुज्ञा, नगरों की विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। ऐसे प्रत्येक अनुमोदित अभिन्यास की प्रति आयुक्त सह संचालक तथा संबंधित जिले के नगर तथा ग्राम निवेश अधिकारी को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित की जाएंगी।

(गुलशन बामरा)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / 330 विधि/एम– 501 /2014 भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।

निरंतर पेज........2

3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आयुक्त ,उद्योग विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. प्रबंध संचालक, ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र.शासन भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, पंचायत एवं समाजसेवा विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
8. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल